

निदेशालय में अवस्थित अनुभाग एवं उनका कार्य:—

क्र.सं.	अनुभाग	कार्य
1	स्थापना	<ol style="list-style-type: none"> 1. विभाग के मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कर्मचारियों से संबंधित समस्त संस्थापन संबंधी कार्य। 2. निदेशालय के पत्र प्राप्ति एवं प्रेषण संबंधी कार्य। 3. निदेशालय में कर्मचारियों के अवकाश प्रकरण, वेतन—निर्धारण, वेतनवृद्धि एवं सेवापुस्तिका संधारण संबंधी कार्य। 4. विधानसभ/लोकसभा प्रश्नों एवं न्यायिक प्रकरणों से संबंधित कार्य। 5. स्टोर एवं रिकार्ड संबंधी कार्य।
2	गोपनीय	<ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक महोदय के भ्रमण एवं निरीक्षण टिप्पणी/कार्यक्रम संबंधी कार्य। 2. कार्मिकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन संबंधी कार्य।
3	अंकेक्षण	<ol style="list-style-type: none"> 1. अंकेक्षण कार्यक्रम जारी करना। 2. अंकेक्षण कार्य से संबंधी पत्राचार, वार्षिक अंकेक्षण कार्यक्रम का अनुमोदन एवं अंकेक्षण दलों का गठन संबंधी कार्य। 3. अंकेक्षण कार्य का पर्यवेक्षण संबंधी कार्य।
4	लेखा	विभाग के समस्त प्रकार के बिलों से संबंधी कार्य।
5	संवीक्षा/विधानसभा	राजस्थान विधानसभा में उपस्थापित स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुच्छेदों की संबंधित विभागों से अनुपालना प्राप्त कर उनकी समीक्षा करना तथा समीक्षा उपरान्त प्राप्त अनुपालना/क्रियान्विती रिपोर्ट का संकलन/प्रश्नावली तैयार कर स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संबंधी समितियों को प्रेषित करना।
6	रिपोर्ट	<ol style="list-style-type: none"> 1. अ श्रेणी प्रारूप प्रालेख के प्रस्ताव प्राप्त करना एवं उनकी समीक्षा करना। 2. ड्राफ्ट अनुच्छेदों के आधार पर सूचना संकलित कर लेख परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करना।
7	गबन	स्वायत्तशापी संस्थाओं के राशि रूपये 50000/- से कम एवं अधिक के गबन प्रकरणों के गठन एवं निस्तारण संबंधी समस्त कार्य।
8	सतर्कता	विशेष जांच संबंधी कार्य।